न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.–.........50...../2024

सन्त लाल स्वामी पुत्र इन्द्र दास स्वामी जाति स्वामी निवासी सात्युं तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थी –

वनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर। – अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 14/2/24

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा सात्युं तहसील तारानगर के खसरा सं. 2294/1054 तादादी 3.8694 हेक्ट., खसरा सं. 2299/1067 तादादी 0.5058 हैक्ट. कुल तादादी 4.3752 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सन्तलाल पुत्र इन्द्रदास अंकित है। जो गलत है, जवकि प्रार्थी का नाम सन्त लाल स्वामी पुत्र इन्द्र दास स्वामी सही हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सन्त लाल स्वामी पुत्र इन्द्र दास स्वामी है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल वेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अव प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने विना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा सात्युं तहसील तारानगर के खसरा सं. 2294/1054 तादादी 3.8694 हेक्ट., खसरा सं. 2299/1067 तादादी 0.5058 हैक्ट. कुल तादादी 4.3752 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम सन्त लाल स्वामी पुत्र इन्द्र दास स्वामी किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट भू.अ.नि. सात्यूं के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अव प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम सन्तलाल पुत्र इन्द्रदास की जगह सन्त लाल स्वामी पुत्र इन्द्र दास स्वामी करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सन्तलाल पुत्र इन्द्रदास ही दर्ज है। अतः प्रार्थी सन्तलाल पुत्र इन्द्रदास की जगह सन्त लाल स्वामी पुत्र इन्द्र दास स्वामी दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया भू.अ.नि. सात्यूं की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पृष्टि होती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा सात्युं तहसील तारानगर के खसरा 2294/1054 तादादी 3.8694 हेक्ट., खसरा सं. 2299/1067 तादादी 0.5058 हैक्ट. कुल तादादी 4.3752 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि सन्तलाल पुत्र इन्द्रदास Delete कर इसके स्थान पर सन्त लाल स्वामी पुत्र इन्द्र दास स्वामी अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .....14/2/24........ को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)